महत्वपूर्ण एवं खास

दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 24 एवं 25 फरवरी को

रायगढ़। किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान (अग्रणी)महाविद्यालय रायगढ़ में शासन की अवधारणा के अनुरूप प्राध्यापक वर्ग की बौद्धिक दक्षता बढ़ाने एवं विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से ऑफलाईन/ऑनलाईन माध्यम से 24 एवं 25 फरवरी 2023 को स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के तत्वाधान में छायावादोत्तर हिन्दी कविता में रचनात्मक प्रतिबद्धता और सार्थकता विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में अमेरिका और नार्वे सहित देश के उत्तरप्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से कार्यक्रम में प्रतिष्ठित विद्वान, कुलपति तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्त साहित्यकार पद्मश्री निवास उद्गाता (ओडिशा), पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी (देहरादून) और पद्मश्री हलधर नाग (ओडिशा) का आगमन हो रहा है। यह रायगढ़ जिले एवं विश्वविद्यालय का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इस अवसर पर पुस्तक विमोचन, साहित्यकारों का सम्मान भी किया जाएगा।

जिला स्तरीय ओपन महिला एवं पुरूष शतरंज प्रतियोगिता 25 एवं 26 फरवरी को

रायगढ़। जिला प्रशासन रायगढ़ एवं जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में जिला स्तरीय ओपन महिला एवं पुरूष शतरंज प्रतियोगिता-2023 का आयोजन 25 एवं 26 फरवरी 2023 को सेंट जेवियर स्कूल, बोईरदादर रायगढ़ में किया जाएगा। वेबसाईट में प्रवेश ले सकते है जो कि नि:शुल्क है। शतरंज प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ी को प्रथम पुरस्कार-5 हजार रुपये, द्वितीय-3 हजार रुपये, तृतीय-2 हजार रुपये, चतुर्थ-01 हजार रुपये तथा पांचवा से दसवां तक 500 रुपये (कुल पुरूस्कार 27 हजार एवं ट्राफी) दिया जाएगा। प्रतियोगिता के संख्या के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वीस लीग पद्धति से खेली जाएगी। निर्णायक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रवेश के लिए अशोक पटेल मोबा.नं.9977215435 एवं रमेश पाणी मोबा. नं.99074-47520 पर संपर्क कर सकते है।

तीन लोगों की आग में जलने से असामायिक मृत्यु : वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़। अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत 3 लोगों की प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ के निर्देशन एवं एसडीएम रायगढ़ के प्रकरणों का परीक्षण पश्चात राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला-रायगढ़ अंतर्गत ग्राम-बादपाली के शरन यादव की 17 जुलाई 2019 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति संजय यादव को 4 लाख रुपये, ग्राम-सियारपाली के सत्यभामा किसान की 8 जुलाई 2022 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति ज्ञानदेव किसान को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-सूरजगढ़ तहसील पुसौर के अनुपमा चौहान की 18 जून 2022 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति कृष्णा चौहान को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

नाबालिग से अनाचार के आरोपी को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में 13 फरवरी की रात्रि नाबालिग बालिका के परिजन थाना आकर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक नंदलाल पैकरा को उनकी बच्ची के साथ गांव के डमरु राठिया (22 साल) द्वारा बालिका को अपने घर ले जाकर बलपूर्वक दुष्कर्म करना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चक्रधरनगर द्वारा रायगढ़ के संवेदनशील एसएसपी सदानंद कुमार को अवगत कराया गया। एसएसपी सदानंद कुमार तथा नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर तत्काल थाना प्रभारी चक्रधरनगर अपने थाने की टीम लेकर आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये आरोपी के गांव जाकर दबिश दिया गया जो गांव से फरार होने की फिराक में था जिसे गांव के बाहर धर दबोचा गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जहां आरोपी के कृत्य पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी किया गया, आरोपी को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जेल दाखिल कराया गया है।

कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

- आदर्श ग्राम बनाने गांवों का चयन कर प्राथमिकता से करें कार्य-कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा
- निर्माणाधीन कार्यों में करें गोबर पेन्ट का उपयोग, गौ-मूत्र से बने जैविक कीटनाशक खरीदी के लिए किसानों को करें प्रोत्साहित
- जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से करें निराकरण
- कलेक्टर सिन्हा ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सिन्हा ने विभागवार कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक विकासखंड में बनाए जाने वाले आदर्श ग्राम के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को आदर्श ग्राम के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में पांच-पांच गांवों का चयन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को इन ग्रामों में विभागीय योजनाओं का प्राथमिकता से शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने मत्स्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए तालाबों की जानकारी ली। उन्होंने जनपद सीईओ को शेष तालाबों को पट्टा प्रदाय के लिए आवश्यक कार्यवाही करने एवं मत्स्य निरीक्षकों को प्रत्येक विकासखण्ड में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने बैठक में ई-केवाईसी की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उपसंचालक कृषि ने बताया की ई-केवाईसी कार्य प्रगतिरत है, कलेक्टर सिन्हा ने शेष किसानों के ई-केवाईसी कार्य अति शीघ्र पूर्ण करने तहसीलदारों को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने रागी एवं कोदो के लक्ष्य की जानकारी ली, उपसंचालक कृषि ने बताया की दोनों का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है।

कलेक्टर सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए हाट-बाजार एवं एमएमयू की जानकारी ली। सीएमएचओ डॉ.ठाकुर ने बताया की एमएमयू का नियमित संचालन किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बनाए जा रहे हमर लैब निर्माण की समीक्षा करते हुए ईई हाऊसिंग बोर्ड को निर्माणधीन हमर लैब के कार्यों में तेजी लाते हुए आगामी मार्च तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने राजस्व अधिकारी को नजूल पट्टा नवीनीकरण, भू-स्वामी, नियमितीकरण, व्यवस्थापन कार्य को शिविर के माध्यम के करने के लिए निर्देशित किए। उन्होंने वर्तमान में रोजग़ार कार्यालय में संचालित रोजगारान्मुखी कोर्स की जानकारी ली। रोजगार अधिकारी ने बताया की वर्तमान में ऑफिस अटेंडेंस जैसे विभिन्न कोर्स संचालित है एवं समय-समय पर प्लेसमेंट भी आयोजित की जा रही है। कलेक्टर सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करने एवं सीमांकन, बटवारा जैसे लंबित प्रकरण को प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को विभागीय आवश्यकता अनुसार सी-मार्ट से सामग्री खरीदी करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही कलेक्टर सिन्हा ने भेंट-मुलाकात, जनचौपाल एवं जनशिकायत में प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता के साथ निराकरण कर आवेदक को सूचित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।

कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने किया मिश्रित दवा का सेवन- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आयोजित समय-सीमा की बैठक में स्वास्थ विभाग द्वारा फाइलेरिया से बचाव हेतु प्रदान की गई मिश्रित दवाइयों का सेवन किया। उल्लेखनीय है कि जिले को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 फरवरी से सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसी क्रम में आज कलेक्टरेट के सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को फाइलेरिया ने बचाव हेतु मिश्रित दवाइयों का सेवन करवाया गया। कलेक्टर सिन्हा ने कहा फाइलेरिया से बचाव हेतु मिश्रित दवाई का सेवन करना आवश्यक है तभी हम जिले को फाईलेरिया मुक्त कर पायेंगे।

गोधन न्याय योजना की हुई समीक्षा, गोबर खरीदी बढ़ाने दिए निर्देश- कलेक्टर सिन्हा ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा की, उन्होंने गोठानो में गोबर खरीदी की मात्रा को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की आवर्ती चराई में नियमित खरीदी की जाए। इसके साथ ही जिन वन्य गोठानों में खरीदी नही हो रही है, वहां खरीदी प्रारंभ करवायें। उन्होंने अधिकारियों को गोठानो में पशुओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा की वर्मी कंपोस्ट के कन्वर्जन रेशियो में सुधार करें। कलेक्टर सिन्हा ने पीडब्ल्यूडी, आरईएस जैसे निर्माण कार्य में संलग्न विभागीय अधिकारियों को निर्माणाधीन भवनों में गोबर पेंट के उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को गौ-मूत्र से बने जैविक कीटनाशक की विशेषता बताकर खरीदी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रीपा गौठानों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए, जिससे गौठानों में गतिविधियों का शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

- मृतक के जेब में मिला था सुसाइडल नोट, आरोपी के मृतक की पत्नी के साथ अनैतिक संबंधों की थी चर्चा
- आरोपी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने के मिले साक्ष्य पर किया गया गिरफ्तार

रायगढ़। थाना छाल अंतर्गत ग्राम बांधापाली में अधेड़ व्यक्ति (42 साल) के फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में छाल पुलिस द्वारा गांव के थानेश्वर प्रसाद पटेल उर्फ कत्थू (उम्र 59 वर्ष) को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक 12 फरवरी को ग्राम बांधापाली में रहने वाला व्यक्ति (उम्र 42 साल) अपने घर के म्यार में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। मामले में मर्ग कायम कर थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया द्वारा मृतक के वारिसानों का कथन लेखबद्ध कर जांच किया गया। पंचानामा समय मृतक के पहले शर्ट की जेब से एक सुसाइडल नोट प्राप्त हुआ। मर्ग जांच में गवाह बताएं कि आरोपी थानेश्वर का मृतक के पत्नी के साथ मैत्री संबंध थे और थानेश्वर प्रसाद उनके घर आना जाना था जिससे पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले भी मृतक ने थानेश्वर प्रसाद को उनके घर आना जाने के लिए मना किया था किंतु थानेश्वर इस बात को नहीं माना।

12 फरवरी को पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा विवाद हुआ था जिसके बाद मृतक की पत्नी कहीं चली गई थी। जिसके पीछे-पीछे मृतक भी निकला और वापस घर आकर अपने घर में म्यार में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मामले में छाल पुलिस द्वारा आरोपी को धारा 306 आईपीसी के तहत मर्ग कायम कर जांच में लिया गया आरोपी थानेश्वर पटेल द्वारा मृतक को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

दो आरोपियों से चोरी किया हुआ 39 नग टायर और चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन जब्त, कोतरारोड पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही

- टायर डिपो से1,70,000 रुपए का टायर हुआ था चोरी

रायगढ़। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा सुपरविजन अधिकारी निकिता तिवारी के मार्गदर्शन पर आज टायर गोदाम (डिपो) से चोरी पौने दो लाख रूपये के टायरों की चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से शत प्रतिशत बरामदगी करते हुए आरोपियों से चोरी में प्रयुक्त पीकअप वाहन को जप्त कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

थाना कोतरारोड़ में चैतन्य नगर रायगढ़ में रहने वाले कैलाश कुमार अग्रवाल (51 वर्ष) द्वारा थाना में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनका वृंदावन कॉलोनी के सामने जिंदल रोड में उनका CEAT लिमिटेड कंपनी के टायर डिपो है जहां विभिन्न प्रकार के गाड़ियों के टायर की बिक्री करते हैं। 11 फरवरी के सुबह डिपो खोलने गया तो देखें सटर बंद था लेकिन उसमें ताला नहीं लगा था।चोरी की आशंका होने पर टायर का मिलान करने पर पाये कि डिपो से ट्रेक्टर का टायर 04 नग, कार के टायर 16 नग, मोटर सायकल के टायर 17 नग, टाटा ACE का टायर 02 नग, कुल 39 नग टायर कीमती 01 लाख 70 हजार रूपये को कोई अज्ञात चोरी कर ले गया है। चोरी के रिपोर्ट पर थाना कोतरारोड में अज्ञात आरोपी पर नकबजनी (धारा 457,380 आईपीसी) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतरारोड उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा अपने विवेचकों को थाना क्षेत्र में मुखबिर लगाकर पतासाजी का निर्देश दिया गया, निर्देशों के पालन में मुखबिर से जानकारी लिया गया और मुखबिर सूचना पर कृष्णापुर के दो युवक आशीष महेश और जैकी सिदार को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर दोनों आरोपी 10 फरवरी की रात टायर डिपो से पिकअप वाहन के जरिए टायर को चोरी कर छिपा कर रखना बताएं। आरोपियों के मेमोरेंडम पर 39 नग विभिन्न कंपनियों के टायर कीमती रु.1,70,000 और चोरी में प्रयुक्त पिकअप सीजी 13 ए.ई. -1358 कीमती रु.5,50,000 जुमला रु.7,20,000 की मशरूका जप्त कर दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर माल मुल्जिम पतासाजी त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतरारोड उपनिरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार, आरक्षक गोविंद पटेल, कमलेश यादव, संदीप कौशिक देवकुमार सोनवानी, अभिषेक द्विवेदी, संजय एक्का की प्रमुख भूमिका रही है।

डकैती की योजना बनाकर व्यवसायी के घर घुसे 5 बदमाश, छाल पुलिस ने 4 आरोपियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार

- गिरफ्तार आरोपियों में एक विधि के साथ संघर्षरत बालक भी, आरोपियों से टंगिया, रॉड और मोटर सायकल जब्त

रायगढ़। थाना थाना अंतर्गत ग्राम हाटी में रहने वाले फर्निचर कारोबारी प्रदीप अग्रवाल (54 वर्ष) के घर 13 फरवरी की रात्रि 01.00 बजे डकैती की प्रयोजन से धारदार हथियार के साथ 5 बदमाश घुस गए और घर में मौजूद वृद्ध महिला (प्रदीप अग्रवाल की मां) के ऊपर लूट के इरादे से जानलेवा हमला किए। अपनी मां की आवाज सुनकर प्रदीप अग्रवाल दूसरे कमरे से बाहर निकल कर आये जिस पर भी अज्ञात हमलावरों द्वारा लाठी, डंडा से हमला किया गया। एकाएक घर के लोग के जाग जाने से अज्ञात हथियारबंध डकैत घटना को अंजाम देने में असफल रहे और भाग खड़े हुए। घटना की सूचना प्रदीप अग्रवाल द्वारा डायल 112 और थाना छाल को दिया गया।

गंभीर वारदात की सूचना थाना प्रभारी छाल उपनिरीक्षक बी.एस. डहरिया द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रागढ़ एवं एसडीओपी खरसिया को दिया गया। तत्काल एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा एसडीओपी खरसिया निमिषा पांडे को क्षेत्र में नाकेबंदी कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी का निर्देश दिया गया। एसडीओपी खरसिया के नेतृत्व में देर रात आरोपियों के हुलिए की जानकारी पीड़ितों से लेकर रात में ही डायल 112 और छाल पुलिस की अलग-अलग टीमें हाटी जंगल और आसपास क्षेत्र में अज्ञात डकैतों की पतासाजी में जुट गई। शीघ्र ही हाटी जंगल में छिपे 4 बदमाशों को पुलिस टीम हिरासत में ली जिसमें एक विधि के साथ संघर्षरत बालक तथा 3 युवक है। पूछताछ में अपचारी बालक के साथ पकड़े गये 4 आरोपी युवक अपना नाम संजीत सारथी, रथ लाल चौहान, संजीव कुमार राठिया बताए कि अपचारी बालक थाना छाल क्षेत्र का है और सभी युवक एक ही गांव के हैं, एक इनका एक साथी जो घटना में शामिल था, वह भाग गया है। लूटपाट के इरादे से योजना बनाकर अपने गांव से मोटर सायकल पर हाटी आना बताये। आरोपी रतन लाल चौहान से एक लोहे का टंगिया, आरोपी संजीव कुमार राठिया से एक लोहे का रॉड तथा आरोपी संजीत सारथी से बिना नंबर एच.एफ. डीलक्स मोटरसाइकिल जप्त किया गया है। फरार आरोपी की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। एसडीओपी खरसिया निमिषा पांडे के नेतृत्व में संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी छाल उपनिरीक्षक बी.एस. डहरिया, प्रधान आरक्षक छविलाल पटेल, दादू सिंह सिदार, आरक्षक गोविंद बनर्जी, हरेंद्र पाल सिंह जगत एवं डॉयल 112 की टीम विशेष भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी-

(1) संजीत सारथी पिता रंगलाल सारथी उम्र 25 साल,

(2) रथ लाल चौहान पिता उजीत राम चौहान 25 साल,

(3) संजू कुमार राठिया पिता स्वर्गीय बलदेव सिंह राठिया 24 साल तीनों निवासी ग्राम चांपा चचिया थाना करतला जिला रायगढ़

(4) एक विधि के साथ संघर्षरत बालक

रैन बसेरा में केयर टेकर से मारपीट कर उत्पात मचाने वाला आरोपी गिरफ्तार

- कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरा के केयर टेकर सय्यैद मोहम्मद शहजोर (52 साल) ने थाना कोतवाली आकर लिखित आवेदन देकर आकाश जयसवाल निवासी शिवा नगर पर शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर नहीं देने पर गाली गलौज कर मारपीट करने और मोबाइल तोड़ देने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया रिपोर्ट पर धारा 294, 506, 323, 427, 327 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपराध कायमी पश्चात थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा थाने से आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये स्टाफ रवाना किया गया , जिनके द्वारा आकाश जायसवाल को शिवा नगर से हिरासत में लेकर थाना आये। आरोपी केयर टेकर से मारपीट करने के साथ ही रैन बसेरा के बाहर ट्रेवल्सआफिस के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ दिया था। आरोपी के कृत्य पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी आकाश जायसवाल पिता सेतराम जायसवाल निवासी शिवा नगर को गैर जमानतीय धाराओं के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

यात्री बस में किशोर बालिका से छेड़खानी, कोतवाली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़। थाना कोतवाली में स्थानीय बालिका अपनी मां के साथ थाना कोतवाली आकर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे को बताई कि दोनों मां बेटी अपने निजी काम से तमनार गए थे। जहां से वापस घर लौटते वक्त बस में तीन लड़के उन्हें गंदे कमेंट कर रहे थे, उसकी मां उन्हें मना की तो उनमें से एक लड़का गंदी नियत से बालिका से छेड़खानी किया और रायगढ़ बस स्टैंड पर उतर कर भाग गया। लड़के के दो साथियों से छेड़खानी करने वाले युवक का नाम पूछताछ में योगेश श्रीवास निवासी मिलूपारा तमनार का होना बताए। थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा बालिका के रिपोर्ट पर धारा 354 आईपीसी, 8 पॉक्सो एक्ट का अपराध आरोपी पर पंजीबद्ध कर अपने स्टाफ को आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए तमनार रवाना किया गया जिन्होंने आरोपी योगेश श्रीवास पिता केशव प्रसाद श्रीवास उम्र 34 वर्ष निवासी पोड़ीशंकर थाना बमनीनडीह जिला जांजगीर-चांपा हाल मुकाम मिलूपारा थाना तमनार को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज दोपहर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को देते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर एफटीसी कोर्ट रायगढ़ में पेश किया गया है।

सोशल मीडिया में निजी फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक ने ऐंठे 50,000 रुपए, आरोपी को लैलूंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़। थाना लैलूंगा में आज ग्राम बसंतपुर में रहने वाले युवक द्वारा आरोपी अजय भोय पर उसके निजी फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे रु.50,000 वसूल कर लेने के बावजूद उसे धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, पीड़ित के लिखित आवेदन पर लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी पर उद्दापन (धारा 384 आईपीसी) के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पीड़ित युवक बताया कि दिनांक 04/02/2023 की रात ग्राम किलकिला मेला देखने जा रहा था। रास्ते में ग्राम नावागांव चौक के पास एक लड़का मिला जो अकेला देखकर डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट कर विवो कंपनी का मोबाईल ले लिया। उसके दो दिन बाद वही लड़का कॉल कर तेरे मोबाइल में रखे पर्सनल विडियो फोटो का वायरल कर दूंगा कहकर धमकी देने लगा, जिसका पता करने पर ग्राम खैरबहार केसला के अजय भोय पिता चुड़ामणी भोय होना पता चला। तब मोबाइल लौटा देगा विचार कर डर से दो बार 25-25 हजार जुमला 50,000/- रू दे दिया उसके बाद भी अजय भोय और रूपये की मांग कर धमकी दे रहा है, पीड़ित के लिखित शिकायत पर लैलूंगा पुलिस आरोपी पर धारा 384 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध पंजीबद्ध किया गया। मामले की जानकारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा को होने पर उन्होंने सायबर सेल के माध्यम से आरोपी अजय भोय पिता चुडामणी भोय उम्र 22 साल निवासी खैरबहार केशला थाना लैलूंगा के वर्तमान में प्रयुक्त मोबाइल नंबर को सर्विलांस में रखवाये, जिसे आज गिरफ्तार कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया है। आरोपी पतासाजी और तत्काल गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक रमाशंकर तिवारी, सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक जयशरण चन्द्रा, आरक्षक हेलारियुस एवं सायबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह और बृजलाल गुर्जर की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480